3.6.16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर में पेश हुई। पत्रावली के दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का जवाब प्रतिवादी नं० 3 के पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं प्रस्तुत दावा पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबों, उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादी भूरी पुत्र रामचरण जाति मीना नि० कारवाड द्वारा ग्राम कारवाड के आराजी ख० नं० 985 रकबा 0.82 है० भूमि को बही के पन्ने पर विक्रय की लिखा-पढ़ी के आधार पर खातेदार ~~घो~~ घोषित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीया नं० 1 व 2 ख.नं.985 के रिकॉर्ड खातेदार है। जिसकी पुष्टि नकल जमाबन्दी सम्वत 2067-70 ग्राम कारवाड मीना के खाता सं० 197 से स्पष्ट होती है। यह दावा राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राह्यनी अस्वीकार है।

अतः दावा वादी खारिज किया जाता है। वादी इस प्रकरण में अनुतोष प्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय में चाराजोई करने के लिए ~~के~~ स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner